12

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक : 2900-दो/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 16-5-2013 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 249-2011-12 अपील

1- गंगा प्रसाद 2- अयोध्याप्रसाद
3- सीताशरण 4- कृष्णकुमार
5- श्यामलाल पांचों पुत्रगण स्व.रामलक्ष्मण गुप्ता
निवासी ग्राम कोतरकलॉ तहसील गोपदबनास जिला सीधी ——अपीलांट्स

विरूद्ध

1- भैयालाल पुत्र स्व.राममनोहर स्वीपर
2- श्रीमती झल्ली पत्नि स्व. राममनोहर स्वीपर
निवासीगण कोतरकलॉ तहसील गोपदबनास जिला सीधी
3- मध्य प्रदेश शासन ——— रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांटस के अभिभाषक श्री अमरेश अग्निहोत्री)
( रिस्पा. 1,2 के अभिभाषक श्री शिवप्रसाद द्विवेदी )

आ दे श

(आज दिनांक 01-11-2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 249-2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-5-13 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पा.क्र. 1 व 2 ने कलेक्टर सीधी को आवेदन देकर बताया कि उनके पति/पिता के नाम ग्राम कोतरकला की भूमि सर्वे नंबर 437 रकबा 1.00 एंव 438 रकबा 1.08 वर्ष 1959 में पटटेदारों से कय की गई भूमि है जिस पर राममनोहर की मृत्यु के वाद काविज है। पट्टे की भूमि 736, 737 है पुराना नंबर 438 एंव 437 है जिसका सीमांकन गलत किया गया है। जहां पर उनके मकान व कुआ , आम के पेड़ हैं सीमांकन के दौरान सर्वे नंबर 737 बता दिया गया, किन्तु यह नंबर वास्तव 736 है जिसमें उनके मकान व कुआ , आम के पेड़ हैं । इस प्रकार नक्शे में

गलत प्रविष्टि है जिसका सुधार कराया जाय अथवा नक्शा सुधार संभव नहीं है तब मौजूदा सर्वे नंबर 736 को रिस्पा0 की भूमि जिस पर मकान व कुआ, आम के पेड हैं से विनिमय कर दिया जाय। इस पर आवेदकगण द्वारा आपत्ति की गई। कलेक्टर जिला सीधी ने उभय पक्ष की सुनवाई कर प्रकरण कमांक 25 अ-74/2004-05 में आदेश दिनांक 19-12-2005 पारित किया तथा निर्णीत किया कि रिस्पा. क-1,2 द्वारा आवेदित भूमियों के नक्शे में जो कमियां बताई है वह वर्तमान में अधिकार अभिलेख के दौरान तैयार नक्शा अनुसार सही है जिसमें किसी प्रकार भिन्नता व त्रृटि नहीं है जिसके कारण विवादित भूमि म0प्र0शासन नजूल शासकीय है एंव रिस्पा.क-1,2 का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 249-2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-5-13 से अपील खारिज कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये। अपीलांट्स के अभिभाषक ने लेखी तर्क भी प्रस्तुत किये। उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने के साथ लेखी बहस एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने , अपीलांट्स के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन अवलोकन से परिलक्षित है कि रिस्पा0 द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की दो धाराओं कमशः धारा 107 नक्शा सॅशोधन एंव नक्शा सॅशोधन की स्थिति संभव न होने पर संहिता की धारा 167 के अंतर्गत भूमि सर्वे कमांक 736 से सर्वे कमांक 748 को विनिमय किये जाने का मांग आवेदन प्रस्तुत किया है। कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 25 अ-74/2004-05 में पारित आदेश दि0 19-12-2005 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक. 249-2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-5-13 में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 167 के अंतर्गत भूमि सर्वे कमांक 736 से सर्वे कमांक 748 को विनिमय किये जाने का मांग इसलिये

स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि नजूल भूमि का विनिमय संहिता की धारा 167 के अंतर्गत संभव नहीं है। संहिता की धारा 167 इस प्रकार है -

**धारा 167 - भूमि का विनिमय - धारा 165 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, भूमिस्वामी, खातों की चकबंदी के प्रयोजनों के लिये, या खेती में और अधिक सुविधा सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये, अपने संपूर्ण खाते या उसके किसी भाग का विनियम पारस्परिक करार व्दारा कर सकेंगे।**

जब भूमि कृषि के लिये प्रयोग नहीं की जाती है तब यह धारा आकर्षित नहीं होगी तथा विनिमय बैध नहीं होगा।

वाद विचारित भूमि बसाहट की होकर नजूल क्षेत्रान्तर्गत है जिसके कारण संहिता की धारा 167 के अंतर्गत विनिमय करना संभव नहीं है।

5/ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत रिस्पा0 व्दारा की गई नक्शा सॅशोधन की मांग के सम्बन्ध में विचार करने पर स्थिति यह है कि कलेक्टर जिला सीधी ने प्र0क्र0 49 अ-74/10-11 में पारित आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2011 में विवेचना करते हुये पृष्ठ क्रमांक 5 पर अंकित किया है कि अधीक्षक भू अभिलेख सीधी के स्थल पंचनामा दिनांक 8-5-2005 एंव प्रतिवेदन दिनांक 13-672005 तथा राज0 निरी0 गिर्द प्रथम गोपदबनास के स्थल टीप दिनांक 7-4-2008 व प्रतिवेदन दिनांक 23-5-08 से यह तथ्य प्रमणित है कि पुराना आ.क्र. 438/2 रकबा 1.08 एकड़ व 437 रकबा 1.00 एकड़ से अधिकार अभिलेख के दौरान क्रमशः नवीन नंबर 737/1.08 एकड़, 736/ 1.00 एकड़ निर्मित किये गये हैं। पुराना आराजी क्रमांक 438/2 व 737 से निर्मित नवीन नंबर 737, 736 का भूमिस्वामी स्वत्व पहले राममनोहर को प्राप्त था उसकी मृत्यु के उपरांत उसके वारिस रिस्पा0 भूमिस्वामी है। इसी प्रकार आदेश के पैरा 3 में 10 वाद बिन्दु निर्धारित कर प्रत्येक बिन्दु पर निष्कर्ष दिया है जिसमें वाद बिन्दु (iv) इस प्रकार है :-

(iv) पुराना क्रमांक 437 नया क्रमांक 736 है या 748 जिस पर कुआ एंव पेड़ स्थित होकर काविज है (आवेदक व्दारा)

(iv) पर निष्कर्ष – लेखिक एंव मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य सावित है कि पुराना आ.क्र. 437/1.00 से निर्मित नया आराजी क्रमांक 736/1.00 एकड़ है जिस पर वह काविज नहीं है बल्कि आराजी क्रमांक 748 जो म0प्र0शासन नजूल भूमि है उस पर काविज है।

(v) पुराने क्रमांक 437 एंव 438 एंव नवीन क्रमांक 736 एंव 737 को राजस्व नक्शे में समरूप दर्शाया गया है अथवा नक्शे में स्थित परिवर्तित कर दर्शायी गई है ? आवेदक व्दारा –

(v) पर निष्कर्ष – लेखिक/मौखिक साक्ष्यों से यह तथ्य सावित है कि आवेदन कर्ता के भूमिस्वामी स्वत्व की आराजी 437, 438/2 से निर्मित आ.क. 736, 737 के सीमांकन दिनांक 29-8-04 को नक्शे अनुसार सही बताया गया है। पुराना आ.क. 425/0.30, 737/ 1.00, 438/2/ 1.08 से निर्मित नंबर 708, 736, 737 गलत नहीं बताया जा रहा है।

उपरोक्त से प्रमाणित है कि रिस्पा0 की भूमि सर्वे कमांक 736 पर यदि अन्य व्यक्ति कब्जा किये हैं तो उन कब्जेदारों के कब्जा हटाने की कार्यवाही वह सक्षम न्यायालय में करने हेतु स्वतंत्र हैं, परन्तु रिस्पा0 की इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं की जा सकती कि पुराना सर्वे नंबर 737 नवीन नंबर 736 के बजाय सर्वे नंबर 438 से निर्मित नंबर 748 शासकीय नजूल भूमि उसके नाम कर दी जावे। नजूल भूमि की व्यवस्था एंव प्रबंध हेतु म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड चार कमांक एक में नियम व निर्देश है । म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड चार कमांक एक में भूमि विनिमय का प्रावधान नहीं है । कलेक्टर जिला सीधी व्दारा पारित आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2011 में विस्तृत समीक्षा उपरांत निष्कर्ष निकाले गये है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 249-2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-5-13 में कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 249-2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-5-13 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर